Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 26/2019–राज्य कर (दर)

शिमला–2, 6 दिसम्बर, 2019

संख्याःई.एक्स.एन.–एफ.(10)–23/2019.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 11/2017–राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र(ई–गज़ट) में संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं। उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, "बस की बॉडी बिल्डिंग" में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी।"

2. यह अधिसूचना तारीख 22 नवम्बर, 2019 से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.——1. मूल अधिसूचना संख्याः 11/2017– राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–15/2017 के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–20/2019 के तहत 3 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 20/2019– राज्य कर (दर) तारीख 1 अक्तूबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-23 /2019, dated 06-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 26/2019-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 6th December, 2019

No. EXN-F(10)-23/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is

necessary so to do, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017. In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.—For the purposes of this entry, the term "bus body building" shall include building of body on chassis of any vechile falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975."

This notification shall come into force *w.e.f.* 22nd November, 2019.

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-15/2017, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 20/2019-State Tax (Rate), dated the 1st October, 2019 published in Gazette of Himachal Pradesh number EXN-F(10)-20/2019 on 3rd October, 2019.

ब अदालत श्री पी० एन० रघुवंशी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम पेशी : 07—12—2019

प्रकाश चन्द पुत्र चैनी, निवासी गांव योल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.——दरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल योल में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम प्रकाश चन्द पुत्र चैनी है जबकि महाल योल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम किरपाल सिंह पुत्र चैनी दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरूस्त करके किरपाल सिंह उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र चैनी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07—12—2019 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 22—11—2019 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।